समाहरणालय, मधेपुरा

(गोपनीय शाखा)

श्री गोपाल मीणा, भा0प्र0से0, जिलाधिकारी, मधेपुरा द्वारा दिनांक 09-03-2015 को विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ की गयी सोमवारीय (Monday Meeting) बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति : पंजी के अनुसार।

2-अनुपस्थित पदाधिकारी

बैठक से निम्नांकित पदाधिकारी अनुपस्थित पाये गये, जिसकी विवरणी निम्नवत् पायी गयी :-

क्र0	पदाधिकारी का पदनाम	अनुपस्थिति का कारण
1	जिला नियोजन पदाधिकारी, मधेपुरा	अवकाश में।
2	जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, मधेपुरा	अवकाश में।
3	सहायक नियंत्रक, माप-तौल	बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित।
4	कार्य0अभि0, सिंचाई प्र0,राघोपुर	बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित।
5	कार्य0अभि0,स्था0क्षेत्रअभि0सं0, मधेपुरा	अवकाश में।
6	वरीय परि0अभि0,बिहार राज्य पुल नि0निगम, मधेपुरा	बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित।
7	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सहरसा	बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित।
8	जिला खनन पदाधिकारी, मधेपुरा	बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित।
9	जिला कार्यक्रम पदा0, साक्षरता, मधेपुरा	बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित।
10	बाल संरक्षण पदाधिकारी, मधेपुरा	बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित।
11	अनुज्ञापन पदा0,सहरसा/मधेपुरा	अवकाश में।

प्रभारी पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा को निदेश दिया गया कि बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित पदाधिकारियों से कारण पृच्छा किया जाए।

(अनुपालन-प्रभारी पदा0, जिला गोपनीय शाखा)

3-कार्यवाही

सर्वप्रथम जिलाधिकारी द्वारा उपस्थित सभी पदाधिकारियों को बैठक में भाग लेने के लिए स्वागत किया गया। तदोपरान्त बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गयी।

4-Law & Order

(क) सिंहेश्वर महोत्सव :- सर्वप्रथम विधि-व्यवस्था कार्यों की समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी द्वारा जानकारी दी गई दिनांक 08 मार्च, 2015 से 10 मार्च, 2015 तक पशुहाट प्रांगण, सिंहेश्वर में श्री सिंहेश्वर महोत्सव, 2015 का आयोजन किया गया है। बताया गया कि दिनांक 08-03-2015 को आयोजित कार्यक्रम शांतिपूर्वक सम्पन्न हुआ। उक्त अवसर पर विधि-व्यवस्था संधारण हेतु संबंधित प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारियों से अनुरोध किया गया कि दिनांक 09-03-15 एवं 10-03-2015 को होने वाले कार्यक्रम को भी सफलता पूर्वक एवं शांतिपूर्ण संचालन कराना सुनिश्चित किया जाए।

(अनुपालन-सभी संबंधित पदाधिकारी)

(ख) शराब की बंदोवस्ती :- जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि दिनांक 13-03-2015 को समाहरणालय सभा कक्ष में 10:00 बजे पूर्वा0 से लॉटरी के माध्यम से शराब की बंदोवस्ती की जाएगी। बताया गया कि उक्त अवसर पर जिन दण्डाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी, वे अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन निष्ठापूर्वक सुनिश्चित करेंगे। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि शराब बंदोवस्ती के दिन समाहरणालय मुख्य द्वार पर फ्किसिंग की व्यवस्था, धारा-144, बी0एन0मंडल स्टेडियम, मधेपुरा में पार्किंग की व्यवस्था की जानी है। यह भी बताया गया कि डाक में भाग लेने वाले लोगों को क्या-क्या कागजात साथ में लेकर आना है, उसकी जानकारी उन्हें पूर्व में ही दे दिया जाए, इसे अधीक्षक, उत्पाद, मधेपुरा सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ-साथ आवश्यकतानुसार विडियोग्राफर की प्रतिनियुक्ति की भी व्यवस्था की जाए। आई0टी0 मेनेजर, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि पूर्व की भांति इस बंदोवस्ती की भी लाईव वेबकास्टिंग की व्यवस्था अधीक्षक, उत्पाद, मधेपुरा के सहयोग से सुनिश्चित करेंगे।

अधीक्षक, उत्पाद, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि जो भी आवेदन प्राप्त हुए हैं, उसकी सूची जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को उपलब्ध करायी जाए, ताकि उसे जिले के वेबसाईट पर अपलोड किया जा सके।

(अनुपालन-अधीक्षक, उत्पाद /आई0टी0 मैनेजर /सभी संबंधित पदाधिकारी)

(ग) 56वीं से 59वीं सम्मिलित संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा :- बताया गया कि दिनांक 15-03-2015 को बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 56वीं से 59वीं सम्मिलित संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया गया है, जिसमें कुल-15 परीक्षा केन्द्र बनाये गये हैं। जिलाधिकारी द्वारा अनुरोध किया गया कि जिन दण्डाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति विधि-व्यवस्था संधारण हेतु की जाएग, वे पूरी ईमानदारी एवं कर्त्तव्यनिष्ठा के साथ अपना कर्त्तव्य निभायेंगे।

(अनुपालन-सभी संबंधित पदाधिकारी)

(घ) वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2015 :- बताया गया कि वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, 2015 दिनांक 17-03-2015 से 24-03-2015 तक मधेपुरा जिला के कुल-30 परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित किया जायेगा। उक्त अवसर पर भी विधि-व्यवस्था संधारण हेतु दण्डाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। अतएव सभी संबंधित पदाधिकारी अपना-अपना ड्यूटी निष्ठापूर्वक सुनिश्चित करेंगे।

यह भी बताया गया कि मैट्रिक परीक्षा की अवधि अर्थात दिनांक 17-03-2015 से 24-03-2015 तक के बीच सोमवारीय बैठक नहीं की जाएगी। पुनः परीक्षा समाप्ति के उपरान्त नियमित सोमवारीय बैठक **10:00 बजे पूर्वा0 से झल्लू बाबू स्मृति भवन,** डी0आर0डी0ए0, मधेपुरा के सभागार में की जाएगी।

(अनुपालन-सभी संबंधित पदाधिकारी)

(ड) बिहार दिवस :- बताया गया कि सिंहेश्वर महोत्सव के अवसर पर स्थानीय कलाकारों को सम्मिलित नहीं करने के फलस्वरुप उन लोगों के द्वारा विरोध प्रकट किया गया। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि बिहार दिवस के अवसर पर इस बातों को ध्यान में रखकर कलाकारों का चयन किया जाए। जिला सूचना एवं सम्पर्क पदाधिकारी, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि कलाकारों की जो भी मांग थी, उसे प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से निकाला जाए तथा कलाकारों के चयन में उन्हें भी फोन करके बुलाया गया था, किन्तु उन लोगों के द्वारा अभिरुची नहीं ली गयी।

(अनुपालन-सभी संबंधित पदाधिकारी)

5–आपदा

(क) अग्निकाण्ड :– जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–010/आ0प्र0, दिनांक–04–03–2015 द्वारा अग्निकांड की आपदा से निपटने हेतु मानक संचालन प्रक्रिया के तहत एस0ओ0पी0 निर्गत किया गया है, जिसमें विस्तृत निदेश दिया गया है। बताया गया कि ग्रीष्म ऋतु में पछुवा हवा के तेज बहने के कारण अग्निकाण्ड की संभावना काफी बढ़ जाती है। कभी–कभी अग्निकाण्ड की तीव्रता इतनी ज्यादा होती है कि अग्निशामक वाहन के पहुंचने के पहले ही काफी जान–माल की क्षति हो जाती है। इस प्रकार की आपदाओं के रोक–थाम हेतु सभी व्यक्तियों के लिए क्या करें एवं क्या नहीं करें, के रूप में आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जानकारी दी गयी है। अपर समाहर्त्ता, आपदा प्रबंधन, मधेपुरा से अनुरोध किया गया कि विभाग द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालन से अवगत कराया जाए। साथ ही उप विकास आयुक्त, मधेपुरा, सभी अनुमण्डल पदाधिकारी, प्रभारी पदाधिकारी, अग्निशामक, मधेपुरा से भी अनुरोध है कि इस संबंध यथोचित कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

(ख) टेंट आदि का क्रय :– यह भी बताया गया कि टेंट आदि का क्रय आस–पास के जिलों से निर्धारित दर अथवा डी0जी0एस0 एण्ड डी0 दर पर किया जा सकता है। निदेशित किया गया कि इस संबंध में कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए।

कार्यपालक अभियंता, पी0एच0ई0डी0, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि जहां–जहां ट्यूबेल लगा है, उसकी जांच कर लें। यदि खराब पड़े हुए हैं, तो नियमानुसार उसकी मरम्मति की जाए।

(ग) इंदिरा आवास के लाभुक :– उप विकास आयुक्त, मधेपुरा से अनुरोध किया गया कि इंदिरा आवास प्राप्त लाभुक, जिनका घर अग्निकाण्ड में जल गया है, उसकी स्वीकृति हेतु अंचलाधिकारी से प्रतिवेदन /अभिलेख प्राप्त करवाकर नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए।

(घ) अग्निकाण्ड के संबंध में प्रेस विज्ञप्ति :– बैठक में उपस्थित जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि अग्निकाण्ड के संबंध में व्यापक प्रचार–प्रसार कराया जाए तथा प्रेस विज्ञप्ति निकाली जाए।

(ङ) दवा की उपलब्धता :– सिविल सर्जन, मधेपुरा से अनुरोध किया गया कि दवाओं की व्यवस्था पूर्व से ही कर लिया जाए। दवा की कमी नहीं रहे, इसे सुनिश्चित किया जाए।

(अनुपालन–अपर समाहर्त्ता, आपदा /जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, मधेपुरा /सिविल सर्जन, मधेपुरा /सभी संबंधित पदाधिकारी)

6–स्थापना/नजारत

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि संयुक्त सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–1653/वि0, दिनांक 18–02–2015 द्वारा Regarding closing of cash book as per rule 94 of Bihar Public Works Account Code के संबंध में विस्तृत निदेश दिया गया है। जिला स्थापना उप समाहर्त्ता, मधेपुरा, जिला नजारत उप समाहर्त्ता, मधेपुरा, कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा तथा जिला स्तरीय सभी संबंधित पदाधिकारियों से अनुरोध है कि विभाग द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाए तथा अनुपालन से अवगत कराया जाए।

(अनुपालन–जिला स्थापना उप समाहर्त्ता /कोषागार पदा0/जिला नजारत उप समाहर्त्ता, मधेपुरा)

7-राजस्व /नजारत

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि सरकार के अपर सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-77, दिनांक-25-02-2015 द्वारा अंचलों में वाहन की उपलब्धता /अनुपलब्धता की सूचना उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है। अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा से अनुरोध किया गया कि सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सभी अनुमण्डल पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारियों से वाहन की उपलब्धता /अनुपलब्धता की सूची अविलम्ब मंगाकर उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा से अनुरोध है कि वांछित सूची समेकित कर विभाग को शीघ्र भेजना सुनिश्चित किया जाए। जिला नजारत उप समाहर्त्ता, मधेपुरा को निदेशित किया जाता है कि अपने स्तर से भी इस संबंध में अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित करें।

(अनुपालन-जिला स्थापना उप समाहर्त्ता, मधेपुरा /प्रभारी पदा0, राजस्व)

8-स्वास्थ्य

(क) स्वाईन फ्लू (H1N1) :- जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि सरकार के सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-163, दिनांक-27-02-2015 द्वारा स्वाईन फ्लू (H1N1) संबंधी सूचना एवं जानकारी नियंत्रण कक्ष स्थापित करने का निदेश दिया गया है। सिविल सर्जन, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि विभागीय निदेश के आलोक में अविलम्ब नियंत्रण कक्षा स्थापित किया जाए तथा अनुपालन प्रतिवेदन से अवगत कराया जाए। जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि दिनांक 11-03-2015 को ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं कर्मियों के क्षमता निर्माण हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, अतएव स्वाईन फ्लू के संबंध में सभी संबंधितों को जानकारी दिया जाए।

<u>(ख) quality control consultancy work</u> :- यह भी बताया गया कि बी0एम0एस0आई0 सी0एल0, पटना के पत्रांक- 3520 दिनांक- 11-02-2015 द्वारा Letter of Acceptance for construction supervision & quality control consultancy work of Govt. Medical College & Hospital, Madhepura के संबंध में निर्देश दिया गया है। सिविल सर्जन, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि इस संबंध में अग्रेतर कार्रवाई किया जाए तथा अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध करावें।

<u>(ग) स्वास्थ्य संस्थानों का निरीक्षण</u> :- जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि मुख्य सचिव, बिहार, पटना के पत्रांक-1283, दिनांक- 26-02-2015 द्वारा स्वास्थ्य संस्थानों में गुणात्मक सुधार एवं मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य संस्थानों का नियमित निरीक्षण करने के लिए बिहार सरकार के मुख्य सचिव के द्वारा सभी जिलाधिकारी को निदेशित किया गया है। जिले में सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों /रेफरल अस्पताल /अनुमण्डलीय अस्पताल /जिला अस्पताल /अन्य शहरी अस्पताल का जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जायेगा। निरीक्षण कार्यक्रम जिलाधिकारी के मार्गदर्शन में सम्पन्न होगा। निरीक्षण के लिए जिलाधिकारी, उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्त्ता /अपर जिला दण्डाधिकारी, अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा प्रतिमाह कम से कम एक स्वास्थ्य संस्थान का निरीक्षण किया जायेगा। वरीय उप समाहर्त्ता को भी निरीक्षण हेतु प्राधिकृत किया गया है। सभी वरीय उप समाहर्त्ता प्रतिमाह अपने प्रभार वाले प्रखंड के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उस क्षेत्र में आने वाले रेफरल अस्पताल /अनुमण्डलीय अस्पताल /जिला अस्पताल /अन्य शहरी अस्पताल का निरीक्षण करेंगे।

स्वास्थ्य विभाग के अन्य अधिकारी यथा- सिविल सर्जन, अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी, जिला मलेरिया पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम प्रबंधक, डी0एच0एस0, जिला योजना समन्वयक प्रति सप्ताह एक स्वास्थ्य संस्थान का निरीक्षण करेंगे।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के निरीक्षण हेतु अलग प्रपत्र तैयार किया गया है तथा रेफरल अस्पताल /अनुमण्डलीय अस्पताल /जिला अस्पताल /अन्य शहरी अस्पताल हेतु अलग निरीक्षण का प्रपत्र है। निरीक्षण के लिए अस्पताल परिसर में साफ-सफाई, स्वच्छ पेयजल (आर0ओ0 वाटर) मरीजों की संख्या, ओ0पी0डी0 में ईलाजरत मरीजों की संख्या, बिजली, जेनरेटर, रात्रि में 24 घंटे सेवा, साफ बेड शीट, वाड में भर्ती मरीजों की संख्या, मरीजों को उपलब्ध कराये जा रहे भोजन की गुणवत्ता एवं दवा, नवजात शिशुओं की संख्या, विभिन्न प्रकार के टीकाओं का डोज, कम से कम पांच वाईल एण्टी रेबिज वेक्सिन एवं पांच एण्टी स्नेक वेक्सिन की उपलब्धता, दिन में कराये गये कुल लैब टेस्ट की संख्या इत्यादि से संबंधित कुल-42 बिन्दुओं पर निरीक्षण हेतु प्रपत्र तैयार किए गए हैं। इस संबंध में जिलाधिकारी, मधेपुरा द्वारा सभी जांच पदाधिकारियों /वरीय उप समाहर्त्ताओं से कहा गया है कि वे अपने-अपने आवंटित प्रखंडों में मार्च माह में ही जाकर पर्यवेक्षण करें तथा पर्यवेक्षण प्रतिवेदन से अवगत करावें।

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि दिनांक 04-03-2015 को श्री नरेन्द्र कुमार सिंह, वरीय उप समाहर्त्ता, मधेपुरा द्वारा जो निरीक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, वह संतोषजनक नहीं है। निदेशित किया गया कि विस्तृत निरीक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाए।

(अनुपालन-सिविल सर्जन /अनुमण्डल पदाधिकारी, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज /सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी /सभी अंचलाधिकारी /सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी /सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी /सभी संबंधित पदाधिकारी)

9-कृषि

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि प्रखंड विकास पदाधिकारी, आलमनगर ने अपने पत्रांक-314-2, दिनांक-21-02-2015 द्वारा सूचित किया है कि मे0 पल्लवी खाद भंडार का निरीक्षण कर निरीक्षण प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, जिसमें संबंधित खाद भंडार के द्वारा विभिन्न प्रकार की अनियमितता बरतने संबंधी शिकायत की गयी है। बैठक में उपस्थित जिला कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि उक्त खाद भंडार के विरूद्ध कारण पृच्छा पूछते हुए अपने मंतव्य के साथ तीन दिनों के अन्दर प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। बताया गया कि मुरलीगंज में खाद के उठाव /वितरण को लेकर कुछ ग्रामीणों द्वारा हो-हंगामा किया गया। बताया गया कि संबंधित खाद बिक्रेता द्वारा खाद का रात्रि में उठाव कर दूसरे जगह कालाबाजारी करने की नियत से ले जाया जा रहा था, जिसकी सूचना मिलने पर जिला कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा को जांच-पड़ताल कर जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। बताया गया कि इससे पूर्व भी खाद बिक्रेता द्वारा बरती जा रही अनियमितता की जांच कर कार्रवाई करते हुए वांछित प्रतिवेदन की मांग की गयी थी, किन्तु एक भी प्रतिवेदन समर्पित नहीं किया गया है, जो अत्यन्त ही खेद का विषय है। निदेश दिया गया कि वांछित प्रतिवेदन अविलम्ब उपलब्ध करावें।

यह भी बताया गया कि प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक-21, दिनांक-24-02-2015 द्वारा जिला स्तरीय कार्यकारिणी समिति के गठन हेतु अधिसूचना निर्गत किया गया है। जिला कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि अधिसूचना में वर्णित

निर्देश के आलोक में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाए तथा अनुपालन से अवगत कराया जाए।

(अनुपालन–जिला कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा)

10–विकास

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि निदेशक, मध्याह्न भोजन योजना, बिहार, पटना के पत्रांक–376, दिनांक–27-02-2015 द्वारा रसाईया–सह– सहायक का बैंक खाता एम0आई0एस0 में प्रविष्टि करने हेतु निदेश दिया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी तथा प्रभारी पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि रसाईया –सह– सहायकों का बैंक खाता की संख्या की एम0आई0एस0 में प्रविष्टि किन कारणों से अब तक नहीं की गई है, की जांच कर नियमानुसार प्रविष्टि कराना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाए।

यह भी बताया गया कि प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–349, दिनांक– 24-02-2015 द्वारा जिला के एक सर्वश्रेष्ठ विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्यों को पुरस्कृत करने का निदेश दिया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि विभागीय दिशा–निर्देश के आलोक में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाए तथा अनुपालन से अवगत कराया जाए।

जिलाधिकारी द्वारा यह भी बताया गया कि निदेशक (प्राथमिक शिक्षा), शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–170, दिनांक–25-02-2015 द्वारा विद्यालयों पर किसी भी आतंकी हमले से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया के संबंध में आवश्यक निर्देश दिया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि इस संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करें तथा अनुपालन से अवगत करावें। साथ ही पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा तथा सभी अनुमण्डल पदाधिकारी एवं सभी अंचलाधिकारियों से अनुरोध है कि अपने स्तर से भी इस संबंध में यथोचित कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए।

(अनुपालन–जिला शिक्षा पदा0 /प्रभारी पदाधिकारी, मध्याह्न भोजन योजना /प्रभारी पदा0, विकास /सभी अनु0पदा0 /सभी अंचलाधिकारी /पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा)

11–आपूर्ति

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि सरकार के अपर सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना द्वारा दिनांक 11-03-2015 को होने वाले राज्य स्तरीय विभागीय बैठक में वांछित प्रतिवेदन के साथ जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं जिला प्रबंधक एस0एफ0सी0 तथा जिला सहकारिता पदाधिकारी को निदेशित किया गया है। निदेशित किया गया कि वांछित प्रतिवेदन तैयार कर ससमय बैठक में भाग लेना सुनिश्चित किया जाए तथा मुख्यालय वापस आने के पश्चात् संक्षिप्त राईट-अप समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।

यह भी बताया गया कि उप प्रमुख दावा, मुख्यालय, पटना के पत्रांक–2542, दिनांक–27-02-2015 द्वारा के0एम0एस0 2011-12, के0एम0एस0–2012-13 एवं के0एम0एस0 2013-14 के अन्तर्गत जिलों में अवशेष पड़े धान की निलामी के संबंध में निदेश दिया गया है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुरा तथा जिला प्रबंधक, एस0एफ0सी0, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि इस संबंध में जांच–पड़ताल कर अविलम्ब तथ्यात्मक प्रतिवेदन उपलब्ध करावें।

(अनुपालन–जिला आपूर्ति पदा0 /जिला प्रबंधक, एस0एफ0सी0 /जिला सहकारिता पदा0, मधेपुरा)

12–राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के अर्द्ध सरकारी पत्र संख्या–321, दिनांक– 27-02-2015 द्वारा सूचित किया गया है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के कार्यान्वयन हेतु पूर्व में मार्गदर्शिका उपलब्ध करायी गयी थी, जिसके आलोक में जिला कोर कमिटी की बैठक कर इस योजना के कार्यान्वयन का अनुश्रण करने तथा योजना के क्रियान्वयन में आ रही बाधा को दूर करते हुए दिनांक 01-03-2015 से इसे प्रारंभ करने तथा पंचायत स्तर पर कैम्प आयोजित कर स्मार्ट कार्ड बनाने हेतु आवश्यक निर्देश दिया गया है। श्रम अधीक्षक, मधेपुरा तथा सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि पत्र में वर्णित निदेश के आलोक में अविलम्ब नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करें तथा एक सप्ताह के अन्दर वांछित प्रगति प्रतिवेदन उपलब्ध करावें।

यह भी बताया गया कि सरकार के सचिव, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के द्वारा भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के कार्यान्वयन के संबंध में निदेश दिया गया है। नोडल पदाधिकारी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को निदेशित किया गया कि विभागीय निर्देश का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करें तथा प्रगति से अधोहस्ताक्षरी को अवगत करावें।

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आदेश ज्ञापांक–478, दिनांक–23-02-2015 द्वारा मधेपुरा जिला में स्वास्थ्य बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि के रूप में श्री कामेश्वर शुक्ला, कार्यकारी निदेशक, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति को प्राधिकृत किया गया है, जिसकी सूचना दी गयी है। सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, मधेपुरा, श्रम अधीक्षक, मधेपुरा तथा अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा से अनुरोध है कि इस संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाए तथा अनुपालन से अवगत कराया जाए।

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक–35, दिनांक–26-02-2015 द्वारा गरीबों के लिए चलायी जा रही एक महत्वपूर्ण योजना ''राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना'' के संबंध में भी दिशा–निर्देश दिया गया है तथा सूचित किया गया कि अगले माह से राज्य स्तरीय पदाधिकारियों द्वारा मधेपुरा जिलान्तर्गत किए जा रहे उक्त कार्यो का मूल्यांकन किया जाएगा। अतएव सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग तथा श्रम अधीक्षक, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि मधेपुरा जिलान्तर्गत उक्त योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालन प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध करावें।

(अनुपालन–सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग /श्रम अधीक्षक, मधेपुरा)

13–ग्रामीण विकास अभिकरण

(क) <u>बस स्टैण्ड का स्थानांतरण</u> :– जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा के ज्ञापांक–640, दिनांक– 28-02-2015 द्वारा दिनांक 27-02-2015 को हिन्दुस्तान समाचार पत्र में प्रकाशित ''आयी थी इलाज को, उठी अर्थी'' के प्रेस कतरन के आलोक में प्रतिवेदित किया गया है कि दिनांक 26-02-2015 को उक्त दुर्घटना के कारण विधि–व्यवस्था की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गयी थी। उनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मधेपुरा बस स्टैण्ड को बाजार /भीड़–भाड़ इलाके से कुछ दूर अन्यत्र समुचित जगह पर स्थानांतरित करने क अनुरोध किया गया है। उप विकास आयुक्त, मधेपुरा तथा जिला परिवहन पदाधिकारी, मधेपुरा से अनुरोध किया गया कि इस संबंध में यथोचित कार्रवाई किया जाए तथा अनुपालन से अवगत कराया जाए।

(ख) सी0डब्लू0जे0सी0 :- यह भी बताया गया कि सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-35/ सी0, दिनांक- 27-02-2015 द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या- 19529/11 श्री सदानन्द यादव बनाम् राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 01-12-2014 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन हेतु किये जाने वाले कार्रवाई के संबंध में दिनांक 11-03-2015 को सुनवाई की अगली तिथि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया है, जिसमें ग्रामीण विकास विभगा को प्रस्तुत मामलें मे यथानिदेशित दो बिन्दुओं पर की गई कार्रवाई की अद्यतन स्थिति से दिनांक 03-03-2015 तक अवगत कराने का निदेश दिया गया है। उप विकास आयुक्त, मधेपुरा से अनुरोध किया गया कि वांछित प्रतिवेदन ससमय विभाग को भेजते हुए अनुपालन से अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत कराना सुनिश्चित किया जाए।

(ग) Village Development Plan निर्माण :- जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक- 222984, दिनांक-04-03-2015 द्वारा सांसद आदर्श ग्राम योजनान्तर्गत Village Development Plan निर्माण के संबंध में में निदेश दिया गया है। उप विकास आयुक्त, मधेपुरा, अनुमण्डल पदाधिकारी, मधेपुरा, प्रखंड विकास पदाधिकारी, मधेपुरा से अनुरोध किया गया कि विभागीय दिशा-निर्देश के आलोक में Village Development Plan निर्माण कराते हुए विभाग को संसूचित किया जाए एवं अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाए। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि सांसद आदर्श ग्राम योजना अन्तर्गत अपेक्षित प्रगति नहीं हो पा रही है, जो खेद का विषय है। सभी संबंधित पदाधिकारी अपने-अपने विभागीय कार्यानुसार कार्य करें। समीक्षा के क्रम में उप विकास आयुक्त, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि वांछित प्रगति के संबंध में उनके द्वारा बैठक आयोजित कराया जा रहा है तथा फलाफल से अवगत कराया जाएगा।

(घ) आधार कार्ड :- जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि मुख्य सचिव, बिहार, पटना के पत्रांक- 223010, दिनांक-04-03-2015 द्वारा आधार कार्ड पंजीकरण एवं आधार Seeding करने हेतु निदेश दिया गया है। उप विकास आयुक्त, मधेपुरा से अनुरोध किया गया कि मधेपुरा जिलान्तर्गत आधार कार्ड बनाने वाले एजेंसियों तथा सभी संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारियों के साथ बैठक कर इसका व्यापक प्रचार-प्रसार कराते हुए विभाग निदेश के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाए। यह भी निदेशित किया गया कि कौन-कौन एजेंसी तथा कहां-कहां पर आधार कार्ड बनाया जा रहा है, इसकी सूचना सभी संबंधित पदाधिकारियों तथा अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करावें।

(अनुपालन-उप विकास आयुक्त /जिला परिवहन पदा0 /सभी संबंधित पदाधिकारी)

14-योजना /भवन /सामान्य

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि प्रधान सचिव, पर्यटन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-604, दिनांक- 24-02-2015 द्वारा मधेपुरा जिलान्तर्गत सिंहेश्वर स्थान मंदिर परिसर के विकास एवं सौन्दर्यीकरण हेतु राशि की निकासी कर विभाग को संसूचित करने का निदेश दिया गया है। जिला योजना पदाधिकारी, मधेपुरा, कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि विभागीय निदेश के आलोक में अविलम्ब नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाए तथा अनुपालन से अवगत कराया जाए।

(अनुपालन-जिला योजना पदाधिकारी /कार्यपालक अभियंता, भवन /प्रभारी पदा0, जिला सामान्य)

15-सहकारिता

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के ज्ञापांक-1207, दिनांक- 27-02-2015 द्वारा 2014-15 अन्तर्गत धान /चावल अधिप्राप्ति कार्य में पैक्सों को भुगतान के संबंध में निदेश दिया गया है। जिला सहकारिता पदाधिकारी, मधेपुरा तथा जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि विभागीय निदेश के आलोक में नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालन से अवगत करावें।

(अनुपालन-जिला सहकारिता पदा0 /जिला आपूर्ति पदा0, मधेपुरा)

16-अल्पसंख्यक कल्याण

जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, मधेपुरा के पत्रांक-40, दिनांक 26-02-2015 द्वारा अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन हेतु जिला स्तरीय समितियों के पुनर्गठन के संबंध में विभाग से अनुरोध किया गया है। निदेश दिया गया कि इस संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए।

(अनुपालन-जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदा0, मधेपुरा)

17-आर0टी0पी0एस0

(क) आर0टी0पी0एस0 :- जिलाधिकारी द्वारा आर0टी0पी0एस0 के प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। अवलोकन से ज्ञात हुआ कि ग्वालपाड़ा में-14 एवं उदाकिशुनगंज प्रखंड में-18 मामले Expire दिखाये गये हैं, जो खेद का विषय है। प्रभारी पदाधिकारी, आर0टी0पी0एस0, मधेपुरा को निदेश दिया गया कि दो दिनों के अन्दर लंबित मामलों का निष्पादन कराना सुनिश्चित किया जाए एवं अनुपालन प्रतिवेदन दिया जाए। जिलाधिकारी द्वारा सभी प्रखंडों के प्रभारी पदाधिकारियों से अनुरोध किया गया कि क्षेत्र भ्रमण के दौरान इस संबंध में यथोचित कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालन प्रतिवेदन से अवगत कराया जाए।

(ख) चल-अचल सम्पत्ति का ब्यौरा :- प्रतिवेदन के अवलोकन से पाया गया कि 1-PEO, Madhepura, H.M. M/s Singheshwar M/S Kumarkhand, 3-Ex. Eng. Local Area Eng. ORG. Works Div. Mdp, 4- B.D.O Shankarpur, Madhepura निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा कर्मियों का निबंधन करा लिया गया है, परन्तु ब्यौरा उपलब्ध नहीं कराया गया है। जबकि 1- President Dist. Consumer Forum Madhepura, 2-H.M. Ramsundar H.S. T. Persa, 3- H.M. Jay lal H/S Sapardah, Madhepura निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा अभी तक कर्मियों का निबंधन नहीं कराया गया है, जिस पर खेद प्रकट किया गया तथा संबंधित जिला स्तरीय पदाधिकारी को अविलम्ब कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

जिलाधिकारी द्वारा सभी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों से अनुरोध किया गया कि सभी स्वयं का एवं अपने-अपने अधीनस्थ कर्मियों का चल-अचल सम्पत्ति का ब्यौरा अविलम्ब आई0टी0 मैनेजर, मधेपुरा को उपलब्ध करावें, ताकि उसे जिले के वेबसाईट पर अपलोड किया जा सके। ससमय नहीं देने पर संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का वेतन रोकने का निदेश कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा को दिया गया।

(अनुपालन-प्रभारी पदा0,आर0टी0पी0एस0/आई0टी0 मैनेजर /सभी संबंधित पदाधिकारी)

18- GPF Missing Contribution Report

जिला भविष्य निधि, मधेपुरा द्वारा **GPF Missing Contribution Report** से संबंधित प्रतिवेदन के अवलोकन से निम्नवत् स्थिति पायी गयी :-

Sl. No.	Total No. of DDO's	No. of DDO's Forwarded (Missing)	Remark
1	100	100	82 rest DDO's to be forwarded (Reminder sent to all DDO)

क्र0	विभाग का नाम	अंशदाता	प्राप्त प्रतिवेदन	लंबित प्रतिवेदन
1	पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा **(HOM001)**	55	53	2
2	जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मधेपुरा के अधीन (उच्च एवं मध्य विद्यालय, के कुल-11)	46	33	13
3	जिला पशुपालन पदाधिकारी, मधेपुरा **(ANI010)**	1	0	1
4	अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य अंचल, मधेपुरा **(RWD003)**	3	0	3
5	कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमण्डल, उदाकिशुनगंज **(RWD002)**	4	1	3
6	कार्यपालक अभियंता, जल निस्सरण प्रमंडल, राघोपुर, जिला-सुपौल **(WAT002)**	3	1	2

सभी संबंधित पदाधिकारियों को पुनः निदेश दिया गया कि अपने-अपने विभाग से संबंधित लंबित मामलों का अगले सप्ताह तक निष्पादन किया जाए तथा अनुपालन से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराया जाए। यह भी बताया गया कि इस संबंध में निदेशित किये जाने के बावजूद भी अपेक्षित प्रगति नहीं हो पा रही है, जो खेद का विषय है।

(अनुपालन- जिला भविष्य निधि पदाधिकारी, मधेपुरा /सभी संबंधित पदाधिकारी)

19-जनशिकायत

समीक्षा के क्रम में प्रभारी पदाधिकारी, जिला जनशिकायत कोषांग, मधेपुरा द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रतिवेदन के अवलोकन से पाया गया कि सभी कार्यालयों में जनशिकायत के मामले अत्यधिक लंबित है, जिससे संबंधित पदाधिकारियों को अवगत कराया गया। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि जनशिकायत के बहुत से मामलें विभिन्न विभागों में अभी भी लंबित है, जो खेद का विषय है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जन शिकायत के मामलों की समीक्षा बराबर की जाती है तथा संबंधित प्रमण्डल के आयुक्त महोदय को बुलाकर जनशिकायत के लंबित मामलों की गहन समीक्षा भी की जाती है। अतएव यह आवश्यक है कि मधेपुरा जिले में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के जनता दरबार से प्राप्त सभी लंबित जनशिकायतों का निष्पादन ससमय कर लिया जाए। सभी संबंधित पदाधिकारियों से अनुरोध किया गया कि जांच हेतु लंबित जनशिकायतों को एक सप्ताह के अन्दर निष्पादन किया जाए तथा अनुपालन से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराया जाए।

साथ ही प्रभारी पदाधिकारी, जिला जनशिकायत कोषांग, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि जनता दरबार के जितने भी मामलें है, उसका विभागवार यथा- समाहरणालयवार, विभागवार, अनुमण्डलवार, प्रखंडवार, अंचलवार प्राप्त /निष्पादन एवं लंबित प्रतिवेदन की विस्तृत प्रतिवेदन तैयार कर अगली बैठक में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। प्रभारी पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि कार्यालय में कर्मियों की कमी के कारण प्रतिवेदन समेकित करने में कठिनाई उत्पन्न होती है। उन्हें निदेश दिया गया कि वांछित प्रतिवेदन जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, मधेपुरा को उपलब्ध कराया जाए। जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि उक्त प्रतिवेदन को विभागवार तैयार कर प्रत्येक सोमवारीय बैठक में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन- प्रभारी पदा0, जनशिकायत कोषांग /जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, मधेपुरा /सभी संबंधित पदाधिकारी)

20-अन्यान्य

(क) जेल :- जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि मंडल कारा, मधेपुरा में शौचालय की स्थिति की स्थिति काफी दयनीय है। कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि उक्त कार्य शीघ्र करावें। बताया गया कि जेल में सी0सी0टी0भी0 कैमरा खराब है और बनाने की आवश्यकता है तथा उदाकिशुनगंज जेल में वाहन नहीं रहने के कारण काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। अधीक्षक, मंडल कारा, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि इस संबंध में विभाग को अधोहस्ताक्षरी के स्तर से पत्राचार हेतु अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित करें।

(अनुपालन-अधीक्षक, मंडल कारा, मधेपुरा /उप कारा, उदाकिशुनगंज)

(ख) रोड साईनेज :- बताया गया कि मुख्य-मुख्य सड़क के चौराहों के पास रोड साईनेज नहीं रहने के कारण काफी कठिनाई उत्पन्न होती है। कार्यपालक अभियंता, एन0एच0 /पथ प्र0, मधेपुरा तथा जिला परिवहन पदाधिकारी, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि अपने स्तर से जांच-पड़ताल कर चिन्हित स्थलों पर रोड साईनेज लगाने की दिशा में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालन से अवगत कराया जाए।

यह भी बताया गया कि समाहरणालय के आस-पास तथा बस स्टैण्ड में ऑटो के पार्किंग स्थल नहीं रहने के कारण ऑटो चालकों द्वारा यात्रियों को यत्र-तत्र उतारा एवं चढ़ाया जाता है, जिससे कभी भी किसी प्रकार की दुर्घटना घटने की संभावना हो सकती है। अतएव ऑटो पार्किंग स्थल बनाने की दिशा में जिला परिवहन पदाधिकारी, मधेपुरा को निदेशित किया गया।

(अनुपालन-जिला परिवहन पदा0 /कार्यपालक अभियंता, एन0एच0/ पथ प्र0, मधेपुरा)

(ग) डूडा :- समीक्षा के क्रम में कार्यपालक अभियंता, डूडा, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि जो भी योजना उनके विभाग अन्तर्गत चलायी जा रही है, उसे अविलम्ब प्रारंभ करें, क्योंकि आगे वर्षा का समय आने वाला है। अतएव जो भी योजनाऍ प्रारंभ है, उसे अविलम्ब पूर्ण करावें।

(अनुपालन-कार्य0अभि0, डूडा, मधेपुरा)

(घ) होल्डिंग टैक्स :- कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि कुछ पदाधिकारियों द्वारा होल्डिंग टैक्स की राशि जमा की गयी है। उनके द्वारा शेष अन्य पदाधिकारियों से होल्डिंग टैक्स की राशि जमा करने का अनुरोध किया गया। जिलाधिकारी द्वारा सभी संबंधित पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि जिनके पास होल्डिंग टैक्स की राशि बकाया है, वे ससमय नगर परिषद् कार्यालय में जमा कराना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालन से अवगत कराया जाए।

(अनुपालन-कार्य0पदा0, नगर परिषद् /सभी संबंधित पदा0)

(ङ) भवन हस्तानांतरण :- अधीक्षक, उत्पाद, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि उत्पाद विभाग का भवन में अभी भी बिजली का कुछ कार्य बांकी है, जिसके कारण भवन हस्तानांतरण नहीं किया गया है। कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि अविलम्ब अवशेष कार्य को करते हुए भवन हस्तानांतरण करना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालन से अवगत कराया जाए।

(अनुपालन-कार्य0अभि0, भवन /अधीक्षक, उत्पाद, मधेपुरा)

(च) राष्ट्रीय लोक अदालत :- प्रभारी पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि दिनांक 14-03-2015 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा, जिसमें आंतरिक संसाधन से संबंधी दिनांक 08 दिसम्बर, 2014 के बाद का प्रगति प्रतिवेदन की आवश्यकता है। उनके द्वारा वांछित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। जिलाधिकारी द्वारा सभी संबंधित पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि वांछित प्रतिवेदन अविलम्ब जिला विधि शाखा को उपलब्ध कराते हुए उसकी एक प्रति अधोहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा, मधेपुरा को निदेशित किया गया कि वांछित प्रतिवेदन समेकित कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए।

(अनुपालन-प्रभारी पदा0, विधि /सभी संबंधित पदा0)

(छ) दूरभाष का बिल :- सहायक अभियंता, दूरभाष, मधेपुरा द्वारा बताया गया कि विद्युत प्रमण्डल, मधेपुरा अन्तर्गत लगभग 2 लाख 75 रू0 की राशि टेलिफोन का बकाया है तथा अभी तक भुगतान नहीं किया गया है, जबकि विद्युत विभाग को उनके कार्यालय द्वारा लगभग 3 करोड़ की राशि दी गयी है। कार्यपालक अभियंता, विद्युत को निदेशित किया गया कि अविलम्ब टेलिफोन बिल की राशि नियमानुसार भुगतान किया जाए तथा अनुपालन से अवगत कराया जाए।

(अनुपालन-कार्य0अभि0, विद्युत /सहायक अभियंता, दूरभाष केन्द्र, मधेपुरा)

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

Khalid 11/03/15 c-operator

11/3/15 **निजी सहायक**
जिला गोपनीय शाखा,
मधेपुरा।

11/3/15 **प्रभारी पदाधिकारी**
जिला गोपनीय शाखा,
मधेपुरा

11/03/15 **जिलाधिकारी**
मधेपुरा।

ज्ञापांक 676 /गो0, मधेपुरा, दिनांक 11-03-2015

प्रतिलिपि : अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा /अपर समाहर्त्ता, आपदा, मधेपुरा /उप विकास आयुक्त, मधेपुरा /सिविल सर्जन, मधेपुरा /जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला परिवहन पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0, मधेपुरा /जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला कल्याण पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला भविष्य निधि पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला योजना पदाधिकारी, मधेपुरा /सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, मधेपुरा /प्रभारी पदाधिकारी, आर0टी0पी0एस0, मधेपुरा /प्रभारी पदाधिकारी, जिला जन शिकायत कोषांग, मधेपुरा /कार्यपालक पदाधिकारी, राष्ट्रीय बचत, मधेपुरा /अधीक्षक, उत्पाद, मधेपुरा /कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, मधेपुरा /जिला कृषि पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला लेखा पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, मधेपुरा /जिला उद्यान पदाधिकारी, मधेपुरा

/जिला गव्य विकास पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला मत्स्य पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला अवर निबंधक, मधेपुरा /जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला नियोजन पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला सहकारिता पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला पशुपालन पदाधिकारी, मधेपुरा /श्रम अधीक्षक, मधेपुरा /सहायक आयुक्त वाणिज्यकर, मधेपुरा / सहायक नियंत्रक, माप-तौल, मधेपुरा /महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, मधेपुरा /जिला प्रबंधक, एस0एफ0सी0, मधेपुरा /कार्यपालक पदाधिकारी, अजाविनी, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, मुरलीगंज /त्रिवेणीगंज /राघोपुर /कार्यपालक अभियंता, नलकूप प्रमण्डल, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, प्रमण्डल, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज /कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्त्ति प्रमंडल, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, शहरी विकास अभिकरण, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, मधेपुरा /वरीय परियोजना अभियंता, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, सहरसा /कार्यपालक अभियंता, काडा, मधेपुरा/ जिला अभियंता, जिला परिषद्, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, मनरेगा मधेपुरा/ औषधि निरीक्षक, मधेपुरा /आई0टी0 मैनेजर, समाहरणालय, मधेपुरा / जिला अग्रणी प्रबंधक, मधेपुरा /कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा /वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सहरसा /वनो के क्षेत्र पदाधिकारी, मधेपुरा /अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मधेपुरा /सहायक अभियंता, दूरभाष, मधेपुरा / निदेशक, ग्रामीण स्वरोजगार प्र0 संस्थान, भारतीय स्टेट बैंक, मधेपुरा / सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, मधेपुरा को Website में upload करने एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों को email करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/3/15   11/3/15   11/03/15

निजी सहायक जिला गोपनीय शाखा, मधेपुरा।	प्रभारी पदाधिकारी जिला गोपनीय शाखा, मधेपुरा	जिलाधिकारी मधेपुरा।

Khalid
11/03/15
C. operator